| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>पुष्पादेवी बनाम बाबूलाल वगै<br>अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए<br>मुकदमा नम्बर 25/2021 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.12.23 | पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के सम्बन्ध मे पूर्व मे जवाब बन्द के आदेश हो चुके है। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थीनी पुष्पादेवी पत्नि श्री रामप्रकाश जाति ब्राहम्ण जो कि ग्राम कालू की मूल निवासी है के नाम से रोही ग्राम कालू के खसरा नम्बर 2026 तादादी 7.15 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अप्रार्थीगण की शामिल खाता की खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक सलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 1178 नया राजस्व रेकार्ड राज मे दर्ज है जो कि रोही ग्राम कालू के खसरा नम्बर 1921 मे 5.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1922 तादादी 1.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1923 तादादी 8.09 हैक्टेयर, खसरानम्बर 1991 तादादी 4.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2106 तादादी 2.29 हैक्टेयर कुल तादादी 22.17 हैक्टेयर खाता बनाम लिछमा पत्नि गोपालराम, बाबूलाल, जयनारायण पुत्रगण गोपालराम 3/4 हि0 सुरजीदेवी पत्नि स्व0 मगतुराम कैलाश पुत्र मगतुराम 1/4 हिस्सा जाति ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार राजस्व रेकार्ड राज मे दर्ज है इस कारण लिछमा को पक्षकार नहीं बनाया गया है शेष सभी खाताधारीगण मोजूद है जिनको अप्रार्थीगण के रूप मे पक्षकार बनाया गया है। उक्त वर्णित भूमि मे केवल खसरा नम्बर 1991 की 4.71 हैक्टेयर भूमि में से ही रास्ता लेना है इसलिये केवल खसरा नम्बर 1991 की ही भूमि विवादग्रस्त है। प्रार्थीनी पुष्पादेवी पत्नि श्री रामप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी कालू के नाम की कृषि भूमि जो की लूनकरनसर तहसील के रोही ग्राम कालू के खसरा नम्बर 2026 मे 7.15 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक सलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता सख्या 611 नया राजस्व रेकार्ड राज मे दर्ज है जमाबन्दी पटवारी हल्का द्वारा पी–35 के कमाक 333 पर दर्ज कर दिनाक 18.12.2020 को जारी की हुई है जो कि प्रमाण मे सलग्न है। प्रार्थीनी का अपने ही खेत रोही ग्राम कालू के खसरा नम्बर 2026 मे 7.15 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि मे पहुचने के लिये व कृषि कार्य के लिये आने जाने व आवागमन करने व पशुधन ट्रेक्टर गाडा आदि ले जाने के लिये कोई स्थायीरूप से विधि अनुसार कोई स्वीकृत रास्ता नही है। प्रार्थीनी अब तक निरन्तर कई वर्षो से अपनी उपरोक्त वर्णित रोही ग्राम कालू के खसरा नम्बर 2026 मे 7.15 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि मे पहले से स्वीकृत व कटानी रास्ता जो कि कालू से छटासर जाने का है जो कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1991 व 2106 मे से होकर निकलता है मे से होकर निरन्तर अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1991 की दक्षिण–पश्चिम सीव मे से होकर अपने खातेदारी खेत मे प्रवेश करके आवागमन कर कृषि कार्य करती आ रही है चूकि रोही ग्राम कालू के खसरा नम्बर 1991 तादादी 4.71 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम से शामिल खाता में राजस्व रेकार्ड राज में दर्ज है इस कारण प्रार्थीनी सदैव रास्ता के लिये अप्रार्थीगण की मोहताज बनी रहती है क्योंकि इसके अलावा प्रार्थीनी को अपने खातेदारी खेत तक पहुचने के लिये कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीनी सदैव मानसिक रूप से भी परेशान रहती है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता पहले भी वर्ष 2017 मे रोक/बन्द कर दिया गया था जिस पर प्रार्थीनी ने खेत मे जाने लिये रास्ता दिलवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनाक 10.2.2017 को श्रीमान् जी के नाम दिया गया था जिस पर मूल प्रार्थना पत्र ही तहसीलदार महोदय को भेज दिया गया तब उक्त रास्ता नियमानुसार तहसीलदार महोदय के आदेश से पटवारी हल्का द्वारा मौका देखा गया और उक्त रास्ता खुलवाया गया था। प्रार्थीनी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि मे आने जाने के लिये और कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है जिसके कारण प्रार्थी अपने ही खातेदारी खेत तक सही समय पर नहीं पहुच पाती है जिसके कारण प्रार्थीनी को भयकर फसली नुमसान के साथ आर्थिक व मानसिक और शारीरिक नुकसान होता है और प्रार्थीनी अपने आप को असहाय महसूस करती है और फसल बिजान के समय अप्रार्थीगण के सामने हाथाजोडी करनी पड़ती है। अतः प्रार्थीया वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए रोही ग्राम कालू के खसरा नम्बर 1991 तादादी 4.71 हैक्टेयर मे दक्षिणी–पश्चिमी सींव मे से दो–दो बिस्वा अप्रार्थीगण की भूमि मे से नियमानुसार रास्ता स्वीकृत कर उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे गैर मूमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।<br>राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी । मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट सलग्न नजरी नक्शा ग्राम रोही कालू के खसरा नम्बर 2026 पर पहुच हेतु खसरा नम्बर 1991 व 2027 के पूर्व दिशा मे कालू से छाटासर जाने वाला कटानी रास्ता चल रहा है। प्रार्थीया अपने खसरा नम्बर 2026 मे जाने हेतु खसरा नम्बर 1991 मे गै0मु0 रास्ता चाहती है।<br>हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम कालू आंशिक नजरी नक्शा एव पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा वांछित उक्त रास्ता प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 2026 तादादी 7.15 हैक्टेयर कृषि भूमि तक जाने के लिए ग्राम रोही कालू के खसरा नम्बर 1991 तादादी 4.71 हैक्टेयर के दक्षिणी–पश्चिमी दिशा मे अप्रार्थीगण के खेतों से होकर कटानी रास्ता जो मौके पर छटासर की ओर जाता है वर्तमान मे चालू है जो कि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उक्त रास्ते तक पहुच हेतु प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता आवश्यक प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट सलग्न नजरी नक्शा प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 2026 तक जाने के लिए न्युनतम दूरी एव सुविधाजनक रास्ता है। अतः प्रस्तुत बहस एव तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान होने पर रिकॉर्ड मे अकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।<br>यह आदेश आज दिनाक 22/12/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>(संजीव कुमार)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>लूनकरनसर | |